


चम्पारण सत्याग्रहः कुछ अनछुए प्रसंग



सम्पादिका
डॉ. नम्रता कुमारी

चम्पारण सत्याग्रह : कुछ
अनछुए प्रसंग

डॉ. नम्रता कुमारी

भारती प्रकाशन
वाराणसी

चम्पारण सत्याग्रह : कुछ अनछुए प्रसंग
डॉ. नम्रता कुमारी

प्रकाशक :

भारती प्रकाशन

45, धर्मसंघ कॉम्पलेक्स,

दुर्गाकुण्ड, वाराणसी-221010

फोन : 0542-2312677, मो. : 9305292293

E-mail : bharatiprakashan@gmail.com

Website : www.bharatiprakashan.in

© लेखिका

प्रथम संस्करण : 2022

मूल्य : 500/-

ISBN : 978-93-91297-27-5

कम्प्यूटर अक्षर संरचना

कुमार ग्राफिक्स

सुभाष पार्क, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

मुद्रक

पूजा ऑफसेट

शाहदरा, दिल्ली-32

इस पुस्तक का पुनर्प्रकाशन, किसी भी प्रकार का आंशिक या पूर्ण प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग, छायाचित्र का उपयोग आदि, विशेषज्ञ की मर्माक्षा के अलावा, लेखिका की अनुमति के बिना कानून का उल्लंघन है।

मुद्रण : भारत

अनुक्रमणिका

दो शब्द	9
संपादकोप	11-20
1 चम्पारण संघर्ष और मिथिलांचल के नरार का किसान आन्दोलन डॉ. नरेन्द्र नारायण सिंह "निराला"	23-32
2 चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी उत्सवों की चकाचौंध से आगे श्री अमरेन्द्र नारायण'	33-41
3 चम्पारण में नील की खेती से किसानों का शोषण और महात्मा गांधी डॉ. योगेन्द्र यादव'	42-49
4 चम्पारण सत्याग्रह : असहयोग आन्दोलन की पृष्ठभूमि प्रो. मीना गौड़'	50-60
5 आत्मनिर्भर भारत: महात्मा गांधी के चम्पारण आन्दोलन के विशेष सन्दर्भ में डॉ. भावना त्रिवेदी	61-71
6 सत्याग्रह-दर्शन के गांधी प्रयोग की प्रथम भारतीय भावभूमि: चम्पारण डॉ० प्रतिभा	72-81
7 चम्पारण के आश्रम और महात्मा गांधी डॉ० ओम प्रकाश पाण्डेय	82-88
8 चम्पारण सत्याग्रह की अहम यादें ज़नाब सैय्यद शाह हसन मानी 'नदवी'	89-94
9 किसान समस्या और चम्पारण आन्दोलन डॉ० किरण शर्मा	95-99
10 महात्मा गांधी की पत्रकारिता और चम्पारण आंदोलन डॉ. ध्रुव कुमार	100-113
11 चम्पारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी का कुशल प्रबन्धन श्रीमती स्नेह लता	114-123

सत्याग्रह-दर्शन के गांधी प्रयोग की प्रथम भारतीय भावभूमि: चम्पारण

डॉ० प्रतिभा

महात्मा गांधी समकालीन विश्व के ऐसे युगपुरुष थे, जिन्होंने सत्याग्रह तकनीक के रूप में सत्य और अहिंसा को व्यावहारिक धरातल पर उतारते हुए न केवल विश्व की सर्वश्रेष्ठ साम्राज्यिक शक्ति को चुनौती देने का साहस किया, अपितु भारतीय स्वतंत्रता के उदाहरण से शोषित मानवता में संचार भी किया।

‘सत्य’ और ‘आग्रह’ शब्दों की संधि से बने ‘सत्याग्रह’ शब्द का अर्थ है सत्य के लिए दृढ़तापूर्वक आग्रह करना। व्यवस्थित रूप से कहा जा सकता है कि भय तथा प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना स्वयं कष्ट सहन करते हुए केवल अहिंसात्मक उपायों की सहायता से सदैव सत्य पर दृढ़ रहना और मन, वचन तथा कर्म से उसी के अनुसार आचरण करना ही सत्याग्रह है।

अर्थात् यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ तथा निष्पक्ष रूप से विचार करने के पश्चात् किसी विचार अथवा सिद्धान्त को सत्य मानता है तो कष्टों तथा कठिनाइयों की चिंता किए बिना उसे इस पर दृढ़ रहना चाहिए और इसमें बाधक तत्वों का अहिंसात्मक उपायों द्वारा प्रतिरोध करना चाहिए। ‘सत्याग्रह’ को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानने वाले महात्मा गांधी ने उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करते हुए पहले दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत में किए गए अपने आन्दोलनों में प्रयुक्त किया। के.एल. श्रीधरानी गांधी ‘सत्याग्रह’ को ‘हिंसा विहीन युद्ध’ की उपमा देते हुए उसे प्रतिकार के आध्यात्मिक उपाय के रूप में चिह्नित करते हैं -

“सत्याग्रह एक आध्यात्मिक तरीका है, जिसमें अपने अत्याचारियों के

विरुद्ध कोई द्वेष भाव न रखते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण किया जाता है और किसी भी स्थिति में सत्य के प्रतिपादन से पीछे नहीं हटा जाता। यदि सत्याग्रही की संघर्ष में मृत्यु भी हो जाए तो उसका अंत नहीं होता, बल्कि विरोधी को सत्य के दर्शन कराने के लिए कभी-कभी सत्याग्रही का मरना आवश्यक हो जाता है।⁵

गांधी जी ने सत्याग्रह के इस दर्शन का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, जब 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उन्होंने वहाँ के भारतीयों द्वारा अपने रंगभेदी शासकों के विरुद्ध किए गए कठिन एवं दीर्घकालिक संघर्ष में उनका नेतृत्व किया। वहाँ के गोरे शासकों द्वारा लम्बे समय से एवं अन्य एशियाई लोगों के विरुद्ध संगठित रंगभेद नीति का पालन किया जा रहा था, जिसका विरोध गांधीजी ने सत्याग्रह आन्दोलन के माध्यम से किया। इस आन्दोलन को पर्याप्त सफलता मिली और गांधी जी को वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त हुई।

जनवरी, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधीजी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम (बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध) की स्थापना कर उसे अपनी कार्यस्थली बनाई और एक तरह से भारत के भविष्य में जैसे सत्याग्रह के महत्व की प्रस्तावना लिख दी। सत्याग्रह के इसी दर्शन को आधार बना कर आगे चलकर तीन बड़े देशव्यापी असहयोग आन्दोलन (1920), सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930) तथा भारत छोड़ो आन्दोलन (1942) भारत की धरती पर चलाए गए जिसके परिणाम स्वरूप अन्ततः भारत ने औपनिवेशिक बेड़िया तोड़कर स्वतंत्रता हासिल की।

गांधी जी के हृदय में नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा के साथ ही राजनैतिक स्वतंत्रता की कामना भी थी। वे भारत के लिए स्वराज्य की माँग को असीम सत्य का एक ही अंग मानते थे। स्वाधीनता उनके लिए एक अत्यधिक पवित्र वस्तु थी। उनका विश्वास था कि राजनैतिक स्वतंत्रता अर्थात् स्वराज्य को तीव्र संघर्ष और द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।⁶

भारत में गांधीजी के इस सत्याग्रह दर्शन के प्रयोग की प्रथम भावभूमि बनने का श्रेय बिहार के चम्पारण को गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में हुआ। यह आन्दोलन चम्पारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है।

क्या था चम्पारण सत्याग्रह और इसकी आवश्यकता किन परिस्थितियों में अनुभव की गई? इसका संक्षिप्त विवरण देना यहाँ आवश्यक है।

वर्षों से बिहार के अनेक हिस्सों में किसान साम्राज्यवादी ब्रिटिश हितों के लिए नील के उत्पादन करने और 'निलहे कोठियों' में रहने वाले 'निलहे' जमींदारों और अधिकारियों का शोषण झेलने को बाध्य थे। उर्वरक धरती होने के कारण नील-उत्पादन हेतु बिहार के अन्य जिलों के मुकाबले चम्पारण में सबसे ज्यादा नील की खेती की जा रही थी। यहाँ नील-उत्पादकों द्वारा 'जिरात' एवं 'असामीवार' नामक दो-प्रणालियाँ इसके लिए प्रयुक्त की जा रही थीं। 'जिरात' के अन्तर्गत वे स्वयं अपनी अधिकतम भूमि पर मजदूरों द्वारा नील-उत्पादन कराते थे, जबकि 'असामीवार' प्रणाली के अन्तर्गत चम्पारण के किसानों के हिस्से की जमीन में उसके मालिक के लिए प्रत्येक बीघे (बीस कट्ठे) में से तीन कट्ठे हिस्से में नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। यही 'तिनकठिया' प्रणाली के नाम से जानी जाती थी।⁷

नील के निर्यात से पर्याप्त मुनाफा होने के कारण इसका उत्पादन बढ़ाने का हर संभव प्रयास ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। धीरे-धीरे 1899 तक चम्पारण जिले के आधे भाग पर किसी न किसी रूप में नील अधिकारियों का कब्जा हो गया था। 1813 में कर्नल हिक्की द्वारा चम्पारण में पहली नील फैक्ट्री की स्थापना के 87 वर्षों के भीतर ही अर्थात् 19वीं सदी के अंत तक यहाँ की लगभग 95,970 एकड़ उत्कृष्ट भूमि पर नील की खेती हो रही थी और कुल 21 कारखाने तथा 48 अन्य प्रतिष्ठान नील-उत्पादन में लगे थे, जहाँ 33,000 श्रमिक काम कर रहे थे।⁸

अंग्रेज जमींदार और अधिकारी अनिवार्य तिनकठिया पद्धति के अतिरिक्त अन्य रूपों में भी भारतीय किसानों-मजदूरों का शोषण कर रहे थे। इनमें अपनी इच्छा से नील की फसल का मूल्य तय करना, किसानों से विभिन्न प्रकार के कर लेना, शिकायत आदि करने पर झूठे मुकदमों में फंसा देना तथा मारपीट और शारीरिक प्रताड़ना आदि भी शामिल थे।

प्रथम विश्वयुद्ध की परिवर्तित परिस्थितियों में निलहे जमींदारों और अधिकारियों ने किसानों की परवाह न करते हुए उन्हें अधिकतम उत्पादन के लिए बाध्य किया। किसानों की स्थिति दयनीय हो रही थी, परन्तु निलहे जमींदारों अधिकारियों का ध्यान नील-निर्यात और उससे हो रहे पर्याप्त लाभ पर था। इस क्षेत्र के किसान पर्याप्त समय तक नील न बोनो के निश्चय, शोषणों

के विरोध जन-जागृति सरकारों को निवेदन आदि भिन्न-भिन्न रूपों में अपने तरीके से तिनकठिया पद्धति और अन्य अत्याचारों के विरुद्ध में आवाज उठा रहे थे। शेख गुलाब, शीतल राय, लोमराज सिंह और पं. राजकुमार शुक्ल के नाम इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं। विशेष रूप से बेलवा के किसान पंडित राजकुमार शुक्ल का नाम इस दृष्टि से अमर हो गया है। उन्होंने न केवल स्थानीय किसानों के साथ तिनकठिया पद्धति और अन्य शोषणों का जमकर विरोध किया, अपितु चम्पारण की गम्भीर परिस्थितियों को राष्ट्रीय परिदृश्य तक पहुँचाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी सफल सत्याग्रह आन्दोलन की ख्याति और उनके विशाल व्यक्तित्व और विशिष्ट आन्दोलन शैली के कारण पं.शुक्ल ने पर्याप्त प्रयास किए कि गांधीजी एक बार चम्पारण आकर, यहाँ के किसानों की दुर्दशा स्वयं अपनी आंखों से देखें। अनेक प्रयासों के बाद अन्ततः वे गांधीजी को चम्पारण ला पाने और इस मध्यम से इस संघर्ष को निर्णायक बिन्दु तक पहुँचाने में सफल हुए। इस कृपक-संघर्ष को अपने सत्याग्रह दर्शन के माध्यम से अद्भुत नेतृत्व देकर गांधीजी ने भारतीय इतिहास को एक अद्भुत अध्याय प्रदान किया।

गांधी का यह चम्पारण-सत्याग्रह सिद्धान्त एवं प्रयोग तथा परिणाम एवं महत्व सभी दृष्टियों से भारतीय इतिहास के अप्रतिम सत्याग्रह के रूप में देखा जा सकता है -

सिद्धान्त एवं प्रयोग

गांधी के सत्याग्रह सिद्धान्त के अनुसार ही चम्पारण सत्याग्रह सत्य के सर्वोच्च आदर्श पर आधारित था। इंडियन ओपीनियन में सत्य के इस आदर्श को परिभाषित करते हुए गांधी जी कहते हैं कि जिसे हम सत्य समझते हैं उसे मरणपर्यन्त न छोड़ना। सत्य के लिए जितनी तकलीफें उठानी पड़ें, और उसे उठाना। कष्ट किसी को नहीं पहुँचाना। क्योंकि कष्ट पहुँचाने से सत्य का उलंघन होता है।⁹ चम्पारण में सत्य का यही आदर्श गांधी का मार्गदर्शन था।

सत्य के इस आदर्श तक पहुँचने हेतु नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए संघर्ष का संकल्प और साहस दोनों गांधीजी के पास थे। चम्पारण में गांधी ने अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध आत्मबल का प्रयोग किया, उससे उनकी दृढ़ता और कष्ट सहन-शक्ति दोनों का ही परिचय प्राप्त होता है। चम्पारण स्थित मोतिहारी कोर्ट को अदालत में दिये गये अपने लिखित

बयान में अपने चम्पारण आने के प्रायोजन, रैयतों की दयनीय स्थिति और कानून की अवज्ञा करने के 'अपराध' को शांत भाव से स्वीकार और मजिस्ट्रेट के यह कहने पर कि अभी भी यह जिला छोड़ कर जाने और पुनः न आने का वादा करने पर उनके ऊपर से यह मुकदमा वापस ले लिया जाएगा, गांधी जी ने दृढ़-स्वर में कहा "ऐसा संभव नहीं है। इस समय क्या मैं जेल से छूटने के बाद चम्पारण में ही अपना घर बना लूँगा।"¹⁰

इसी प्रकार सत्याग्रह को आध्यात्मिक प्रणाली मानने के कारण गांधीजी ने अत्याचारी जमींदारों-अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखा। उनके दृष्टिकोण को भी जानना उन्होंने जरूरी समझा और बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव श्री. जे.एम विल्सन, तिरहुत के कमिश्नर श्री.एल.एफ. मॉर्शड, मुजफरपुर के कलेक्टर श्री डी. वाट्सन आदि से भी वे मिले।

गांधीजी के सत्याग्रह सिद्धान्त का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आयाम यह है कि कोई भी आन्दोलन प्रारम्भ करने अथवा उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने से पूर्व वे पूरे प्रकरण की सच्चाई और पवित्रता के विषय में आश्वस्त हो जाना चाहते थे। आश्वस्त होने के बाद आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व आन्दोलन के क्षेत्र उसके स्वरूप, उसकी गहनता आदि की सर्वांगिण पड़ताल पूरे धैर्य से करते थे।

चम्पारण के प्रसंग में भी पं. राजकुमार शुक्ल के कई माह के निरन्तर प्रयासों के बाद ही गांधीजी चम्पारण आ सके। लेकिन वहाँ पहुँचने और पूरी स्थिति से अवगत होने के तत्पश्चात् स्थित की गम्भीरता और सच्चाई से आश्वस्त होने के बाद गांधीजी ने तुरन्त जाँच-पड़ताल का अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। उनकी यह एक दो दिनों की संभावित यात्रा पूरे सात माह के प्रवास में परिवर्तित हो गई।

गांधीजी ने लगातार परिश्रम साध्य बारीक छानबीन के बाद के बाद न केवल किसानों बल्कि निलहे जमींदारों के भी बयान लिए। उनके परिश्रम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अप्रैल मध्य से जुलाई मध्य के तीन माह में ही उन्होंने 5000 रैयतों के पूरे बयान और 8,000 रैयतों के संक्षिप्त बयान ले लिए थे। ध्यातव्य है कि गांधीजी और उनके सहयोगी काफी पूछताछ के बाद ही बयान दर्ज करते थे।¹²

बिना किसी दबाव में आए बिना झुके गांधीजी दृढ़ता से अपना कार्य करते रहे। इंडियन ओपीनियन में गांधीजी ने स्पष्ट किया है कि सत्याग्रह की विधि

से लड़ने वालों के मार्ग को बाहरी कारणों से बिल्कुल अड़चन नहीं आ सकती। उनके लिए तो केवल उनकी अपनी कमजोरी ही बाधक है।¹³ चम्पारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव श्री जे.एम. विल्सन के यह कहने पर कि गांधीजी जी एक बाहरी व्यक्ति हैं और रैयतों और कोठी वालों की बीच आने की आवश्यकता उन्हें नहीं है, गांधीजी जी ने दृढ़ता से उद्गार व्यक्त कर दिया कि वे अपने आपको कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मानते और उन्हें रैयतों की स्थिति जानने का पूरा अधिकार है।

स्पष्ट रूप से सरकारी अधिकारियों तथा नीलवरों से किसी प्रकार के सहयोग की आशा तो गांधीजी को बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बाधा की आशंका कदम-कदम पर थी। मोतिहारी के कलेक्टर द्वारा शहर छोड़ने का लिखित आदेश मिलने पर भी उन्होंने विनम्रता से लोगों के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के कारण जिले को न छोड़ने और जाँच जारी रखने की बात की। वे लगातार रैयतों के बयान लेते रहे। मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय बुलाए जाने और गिरफ्तारी की प्रबल आशंका होने पर भी उन्होंने शांत, विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी - "मैं इस प्रदेश में जनसेवा और देश सेवा के उद्देश्य से ही आया हूँ। रैयत ने निलहे न्याय का बर्ताव नहीं करते। इस कारण उनकी मदद के लिए आने का मुझसे प्रबल आग्रह किया गया। इसी से मुझे आना पड़ा है। सब बातों को जाने-समझे बिना मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ।"¹⁴ उन्होंने अधिकारियों और निलहे जमींदारों से सहायता की भी अपेक्षा की। मुकदमा उठा लेने के प्रस्ताव पर भी उन्होंने चम्पारण छोड़ने से मना कर दिया और जमानत देने में भी असमर्थता व्यक्त कर दी। स्तब्ध मजिस्ट्रेट ने उन्हें बिना जमानत के ही छोड़ दिया और अंतिम फैसले से पूर्व ही यह मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधीजी को जाँच करने की अनुमति भी मिल गई। आत्मकथा में गांधीजी स्वयं कहते हैं -

"सजा सुनने के लिए अदालत में जाने का समय आने से पहले ही मेरे पास मजिस्ट्रेट का हुक्म आया कि लाट साहब के हुक्म आपको जो जाँच करनी हो, वह कीजिए और उसमें अधिकारियों से जिस मदद की जरूरत हो वह माँग लें। ऐसे तत्कालिक और शुभ परिणाम की आशा हममें से किसी ने नहीं की थी।"¹⁵

अपने परिणाम की दृष्टि से आन्दोलन बहुत फल रहा। अदालत द्वारा गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस ले लिया गया और उन्हें जाँच करने की

अहिंसा नीति के द्वारा सशक्त रूप से बढ़ते हुए 1947 में पूर्णाहुति पर पहुँच सका। भारत के साथ-साथ विश्व के कई महत्वपूर्ण आन्दोलनों को भी दिशा देने का श्रेय चम्पारण सत्याग्रह को है।

सन्दर्भ-

1. प्रभात कुमार, स्वतंत्रता संग्राम और गांधी का सत्याग्रह, दिल्ली, पृ. 8
2. वही, पृ. 8
3. वेद प्रकाश शर्मा, महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन, दिल्ली, पृ. 142
4. के. एल. श्रीधरानी, वॉर विदाउट वॉयलेंस, मुम्बई, 1962, पृ. 16
5. वही, पृ. 16
6. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनैतिक चिन्तन, आगरा 1988, पृ. 353
7. ओम प्रकाश पाण्डेय (सं), 'महात्मा गांधी का चम्पारण सत्याग्रह' अमरेन्द्र नारायण शीर्षक 'चम्पारण सत्याग्रह की स्मृतियाँ' वाराणसी, पृ. 57-58
8. वही, पृ. 58
9. प्रभात कुमार, पृ. 10
10. ओम प्रकाश पाण्डेय (सं) पृ. 73
11. वही, पृ. 68-69
12. वही, पृ. 76
13. गांधीजी सम्पूर्ण गांधी वांग्मय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1962, पृ. 25
14. मोहनदास करमचन्द गांधी, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, नई दिल्ली, पृ. 268
15. वही, पृ. 269
16. वही, पृ. 266
17. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, इलाहाबाद, 2002, पृ. 538
18. प्रभात कुमार, पृ. 12
19. मोहनदास करमचन्द गांधी, पृ. 272-274

सन्दर्भित पुस्तकें

1. राजेन्द्र प्रसाद, चम्पारण में महात्मा गांधी, बिहार राष्ट्रभाषा, परिषद्, 2014, पटना
2. जी. तेंदुलकर, जब गांधी जी चम्पारण आए।
3. हरिश्चन्द्र चौधरी, चम्पारण का किसान आंदोलन और गांधी, दिल्ली 2010
4. ओम प्रकाश पाण्डेय, चम्पारण और गांधी, दिल्ली 2014

80/ चम्पारण सत्याग्रह : कुछ अनछुए प्रसंग

5. Shankar Dayal Singh, Gandhiji's First step-Champaran movement
6. Jalaques Buchepadass, Champaran and Gandhi. Patna
7. V.V. Mishra, Movement in Champaran, Bihar Achive, Patna - 2017

आचार्य, इतिहास विभाग
मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय
उदयपुर (राज.)



आपकी मन्यताएं आपके विचार बन जाते हैं,
आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं,
आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं,
आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं,
आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं,
आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती हैं।

(महात्मा गांधी)